न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा)एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग)

भू–अर्जन प्र.क.53/अ–82/2014–15 ग्राम कोतरलिया
प.हनं.40 तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,

एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना

घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) आवेदक.

विरूद्ध

1– अहिल्या बेवा निरंजन ,प्रेमशंकर पिता निरंजन, निराकार पि. श्यामसुन्दर जाति कोलता सा. देह भूमि स्वामी
2– आनंद प्रकाश पि. सिमोन, इग्नासिसयुस पि. सिमोन जाति खड़िया सा.देह भूमि स्वामी
3– रामदास पि0 शिषराम अग्रवाल सा. चैतन नगर रायगढ़
4– आंचल शुक्ला पति मनिष शुक्ला जाति ब्राम्हण सा. चंद्रनगर छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ कविता सिंघानिया पति आशिष जाति अग्रवाल रायगढ़
5– गोसाई राम पिता हरसो जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
6– गोकुल पि. प्रेमसिंह जाति कंवर सा.देह भूमि स्वामी
7– प्रहल्लाद पिता धनेश्वर जाति रावत सा देह भूमि स्वामी
8– जयराम पि. पूर्णो जाति कोलता सा. चिटकाकानी भूमि स्वामी
9– जयदेव पि. आनंदो जाति कोलता सा. चिटकाकानी भूमि स्वामी
10– दामोदर पि. चन्द्रिका जाति अघरिया सा. देह भूमि स्वामी
11– बाबुलाल पिता धनकालाल जाति धोबा सा देह भूमि स्वामी
12– नरेन्द्र कुमार पि. मोहितराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
13– बजरंगलाल पिता राधेश्याम जाति अग्रवाल सा.सेवाकुंज रोड़ गर्ल्स कालेज के पास रायगढ़ भूमि स्वामी
14– रशिया पिता फदलू, घसिया, घासीराम, बून्द्रा, बुंदकुंवर पिता फदलू जाति उरांव सा देह भूमि स्वामी
15– रशिया पिता फदलू, घसिया, घासीराम, बून्द्रा, बुंदकुंवर पिता फदलू जाति उरांव सा देह भूमि स्वामी
16– बिहारी पिता चैतन जाति उरांव सा देह भूमि स्वामी
17– भोजराम ,राजेन्द्र, सफेद, गायत्री पि. सदाशिव, चित्रलेखा बेवा सदाशिव जाति कोलता सा. देह भूमि स्वामी
18– हर्ष पाहवा पि. जगदीश पाहवा जाति पंजाबी रायगढ़ भूमि स्वामी
19– यशवंत पि. एम.के खेडूलकर जाति कायस्त सा.देह भूमि स्वामी
20– रसिया, घसिया पि. फदलु जाति उरांव सा.देह भूमि स्वामी
21– रोहित कुमार, प्रतिमा पि. डिग्रीलाल, गंगाई बे. डिग्रीलाल जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
22– रोहित कुमार, प्रतिमा पि. डिग्रीलाल, गंगाई बे. डिग्रीलाल दयानिधी पि. बालमुकुन्द जाति कोलता भूमि स्वामी
23– बनमाली पिता पलाउ जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
24– ललित, सुभाष पि. कान्हू जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
25– रवि कुमार पि. भवरलाल जाति सिंन्धी सा.चक्रधर नगर रायगढ़ भूमि स्वामी
26– विनोद कुमार खिरलाल पिता दिनदयाल जाति अग्रवाल नि रायगढ़
27– श्यामलाल,रामलाल, पि. ईश्वर जाति धोबी सा.देह भूमि स्वामी
28– श्यामकुमारी पति नरेन्द्र कुमार जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
29– कस्तुरी पिता अमरसिंह, परखित पिता हीरालाल, सायबानी, सतवती पिता हीरालाल जाति गांड़ा सा देह भूमि स्वामी
30– सुलोचना पति श्यामलाल जाति अग्रवाल सा.पतरापाली भूमि स्वामी
31– सुभाष पि. पुरूषोत्तम, सुरेश पि. कान्हू जाति कोलता सा. देह भूमि

32– सुशिला पिता झुमेर जाति चमार सा देह भूमि स्वामी
33– सुरेन्द्र पि. जेठूराम जाति कोलता सा. चिटकाकानी भूमि स्वामी
34– सुरेश पि. बैरागी जाति कोलता सा. चिटकाकानी भूमि स्वामी
35– खगेश्वर पिता पलाउ जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
36– साधुचरण पि. पलाउ जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
37– साधुराम, मनोज, भुवनेश्वर, भिखमराम, विमला, छोटे नोनी पिता बिरबल, सोनकुवंर बेवा बिरवल जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
38– हेमन्त पि. संतोष ना.बा. शनिराम पि.सतोष पा. काका सुखु पि. डुगूधर, सुखु सीताबाई, जशोदा पि. डुगूधर जाति चमार सा.देह भूमि स्वामी
39– भिखारी पिता कपिल सविता पिता कपिल , ललिता पिता सहदेव, बुटि बेवा सहदेव, जरबन पिता रेंगटू, सीताराम जयराम पिता टिकेदाउ, राधेश्याम, अलेख पि टिकेदाउ भगवति बेवा टिकेदाउ जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
40– कन्हाई पिता श्यामलाल जाति गोड़ सा बारादावान बरमकेला भूमि स्वामी
41– उग्रसेन,पि. मोहन,गोंसाईराम, बाबाजी, संतोषनी, सरोजनी पि0 हरसो, शिवकुमार पि0 गणेशराम विष्णु पि. परसु, बिहारी, सुलोचना, सुरूची, पि. गंगाराम उतरा बे. गंगाराम खीरो बे त्रिनाथ, दुर्योधन, सुरेश पि. लोकनाथ, जगदीश पि. रवि, विशाखा, पुष्तम, गौतम पि. साधुराम ,पांडव कुमार, पि. रविशंकर, सन्यासी गौरहरी पिता बुटिया गहलो पिता बुटिया जाति कोलता भूमि स्वामी
42– उकिया पि. मेनहा, उजलमती पिता मेनहा जाति रावत भूमि स्वामी
43– बिहारीलाल, प्यारीलाल पि पूर्णचंद, गहलो पिता भागी पद्यमिनी बेवा विद्याधर लक्ष्मी अशोक मिनकेतन जितेन्द्र पि विद्याधर ठंडाराम पिता दिर्जो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
44– रामकुमार सूरज कुमार रामबाई पिता नोहर सावित्री बेवा नोहर जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
45– योगीलाल, दाशरथी, चंद्रकाति, भागीरथी, करूणाकर, पि. डिलेश्वर जाति कोलता भूमि स्वामी
46– विजय,राजकुमार पि. विशीकेशन सीताबाई वे विशीकेशन,चन्द्रिका पि. बालाराम जाति अघरिया सा. देह भूमि स्वामी
47– श्यामलाल पि दौलत जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
48– शौकिलाल, दिनो, मदन, सुन्दर, बाबुलाल, जयलाल, तुलसीबाई पि. धनश्याम जाति धोबी सा.देह भूमि स्वामी
49– शौकिलाल रामचन्द्र, ब्रम्हानंद, वेदव्यास, पि. भीमसेन, सुकांति पि. विशंम्भर, मुरलीधर, झसकेतन, अक्षय कुमार ,उजलमति, कलावती, पि. दिगम्बर, ललित कुमार पि. कान्हूचरण, सुभाष, सुरेश, उतराबाई, चित्राबाई पि. कान्हूचरण, लीलाबाई, जम्बोबाई पि. कान्हूचरण, मथुरा बे कान्हूचरण जाति कोलता भूमि स्वामी
50– संतोष पिता नकुल जाति सोंढ़ी सा.देह भूमि स्वामी
51– रामकुमार, सुरज कुमार, रामबाई पि नोहर सावित्री बेवा नोहर, ओशाराम पिता ननकी, छंदराम पिता शिवलाल, आशाराम पिता ननकी, सुनाउ पि0 ननकी जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
52– हेमकुमार, प्रेमशंकर, प्रेमशीला पि. श्रीकृष्ण, नरेन्द्र कुमार, पुरुषोत्तम, सीताबाई, पि. मोहितराम, रहसकुवर बेवा श्रीकृष्ण जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
53– हीराराम, रामवती, रेवती, लीलावती पिता सेतराम, पदमा पि. नेतराम, राधाबाई बे. नेतराम, तोषकुमारी पति मनबोध जाति अघरिया सा. देह भूमि स्वामी
54– सूरज, मुनुदाई पिता आनन्द, पाचोबाई बेवा आनन्द सुग्रीव पिता मुकुन्द जाति कंवर
55– माधो, गंगाराम पिता रामप्रसाद गुलापी बेवा रामप्रसाद जाति सोढी सा देह भूमि स्वामी
56– लक्ष्मीन बेवा हिराराम प्रेमलाल पिता हिराराम सरोज पिता हिराराम सुन्दरमति पति हिराराम जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
57– नारायण पिता धनुर्जय, पुरनमती बेवा धनुर्जय जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
58– ओशाराम पिता ननकीराम जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
59– नोहर, छननूराम पिता शिवलाल, ओशाराम आशाराम सुनाउ पिता ननकी जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
60– हिराराम रामवती रेवती लीलावती पिता सेतराम, जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
61– कहर पिता गेथल, जड़ पिता गेथल जाति रावत सा देह भूमि स्वामी
62– पंकज शर्मा पि मोहनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण सा टी वी टावर के पास छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ भूमि स्वामी
63– रूखसाना अहमद पति नफीस अहमद जाति मुसलमान रायगढ़ भूमि स्वामी
64– मोंगरा, रंगवति, मथुरा पिता तुलसी जाति कंवर सा देह भूमि स्वामी

65– ठंडाराम पिता भुरवा असीकुमार अमिता सुमित्रा ललीता पिता सोभाराम जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
66– अनिल पि0 नरसिंह लाल अग्रवाल सा. रायगढ़
67– सतीश कुमार पि, रामहरि, पल्लव कुमार पि. पुरूषोत्त जाति ब्राम्हण सा. देह भूमि स्वामी

अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश

(दिनांक 09/08/2017)

प्रस्तुत प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REFNo 5073/TLCMP/MGR-PVT/22/08/15 **कोतरलिया** दिनांक 20.08.2015 के अनुसार **ग्राम–कोतरलिया** प.ह.नं. **37** रा.नि.मं. व तह.–**रायगढ़** जिला **रायगढ़** के निजी भूमि कुल ख.नं. **157** कुल रकबा **23.307** हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

(1) उपरोक्त भू–अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र कमांक 3062/राजस्व/भू–अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :–

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. भासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू–अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईंस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृश्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुकम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम कोतरलिया के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.भासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुकम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू–अर्जन अधिनियम की धारा–11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :–

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :–

ख0 नं0	रकबा (हे0में)	ख0 नं0	रकबा (हे0में)	ख0 नं0	रकबा (हे0में)	ख0 नं0	रकबा (हे0में)
558/4	0.040	210/4	0.101	217/4	0.027	271/3	0.081
226/3	0.405	72/1	0.016	219/2	0.008	271/2 279/1	0.304
44/1	0.405	209/1	0.255	218/9	0.035	529/1	0.040
90/1	0.158	207/1	0.032	79/1	0.024	215/1	0.057
91/1	0.032	505/1	0.486	50/1	0.263	413	0.113
212/2	0.263	2	0.146	203/1	0.809	80/2	0.243
80/3	0.121	3/5	0.077	3/4	0.142	562	0.061
288	0.162	88	0.353	1/57	0.101	52	0.202
287	0.113	94/1	0.105	526	0.049	285/1	0.809
3/14	0.198	282/3	0.061	451	0.113	289	0.162
108/11	0.405	270/3	0.101	452/1	0.024	565	0.323
1/6	0.113	452/2	0.304	226/2	0.057	566	0.008
1/5क	0.040	563/1	0.091	210/1	0.073	282/2	0.194
1/31क	0.131	528/1	0.082	209/3	0.235	527	0.134
3/12ख	0.025	45/1	0.202	279/2	0.150	215/3	0.065
270/6	0.324	45/3	0.101	283	0.081	205	0.397
276/2	0.097	202	0.202	408	0.323	206	0.101
278/6	0.202	95/2	0.040	409	0.101	1/1	0.231
272/9 273/9 274/9	0.158	68/1	0.060	217/3	0.028	1/20	0.015
270/7	0.024	85	0.138	218/1	0.036	1/10	0.105
412/1	0.222	86	0.142	453/4 454/4	0.024	1/14	0.069
453/8 454/8	0.097	87	0.405	282/1	0.405	101/1	0.040
81	0.199	96	0.081	82/2	0.318	277/1	0.081
515	0.089	70/2 ख	0.096	82/3	0.202	217/5	0.027
285/2	0.202	90/2	0.121	83/4	0.081	218/3	0.036
1/8	0.069	516/2	0.182	83/5	0.032	214	0.065
1/5ख	0.041	104/3	0.101	104/2	0.263	218/4	0.035
1/18	0.194	49	0.004	83/1 ख 83/2 ख	0.121	217/6	0.027
3/12क	0.024	528/2	0.032	523	0.263	215/2	0.057
3/16	0.057	528/4	0.049	516/1	0.081	210/2	0.053
3/8	0.093	79/2	0.065	104/1	0.061	514	0.020
1/50	0.206	50/2	0.385	500	0.020	217/1	0.105
1/25	0.397	272/2 273/2 274/2	0.255	501/1	0.222	216/2	0.105
1/12	0.008	272/3 273/3 274/3	0.153	456	0.405	212/1	0.389
1/35	0.040	272/5 273/5 274/5	0.154	460	0.129	278/2	0.020

3/1	0.275	272/10 273/10 274/10	0.089	223	0.049	1/27	0.405
1/56	0.202	563/2	0.046	453/1	0.324	100/2	0.020
107	0.020	567/2	0.101	454/1		93/3	0.012
224	0.122	567/1	0.081	276/1	0.088	455	0.081
563/4	0.091	277/2	0.689	-	-	-	-
योग :–कुल ख0न0 157, रकबा 23.307 हेक्टेयर							

अधिनियम की धारा–11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग–1 पृ.क्र. 1527,
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/egazette)ई–राजपत्र–2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाईम्स में दिनांक. 17.10.2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि में दिंनाक 18.10.2015
5. ग्राम प्रकाशनदिनांक 08.11.2015

(3) प्रकरण में धारा–11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् आपत्ति/दावा प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 20.11.2015 को प्राप्त दावा/आपत्ति–/1/ योगलाल आ. डिलेश्वर प्रधान कोतरलिया, दिनांक 09.12.2015 को प्राप्त /2/ मुकुल झा आ एन.डी.झा किरोड़ीमल कालोनी रायगढ़/3/ श्रमती सीमा झा पति मुकुल झा किरोड़ीमल कालोनी रायगढ़ दिनांक 11.12.2015 को/4/थेओपिफल आ. मार्शोल लकड़ा ढिमरापुर रायगढ़ /5/ सुरेश खलखो आ. जुनस खलखो रामभाठा रायगढ़/6/ श्रीमती प्लासीदिया पति प्रदीप कुमार खलखो रामभाठा रायगढ़/7/कु. अलमा आ. इमिल खलखो डंडाजोर जशपुर/8/नाबा जशकिर्ती कौर आ. कृपालसिंह लालटंकी रायगढ़/9/श्रीमती जयश्री शुक्ला पति चन्द्रहास शुक्ला वगै. राजेन्द्रनगर बिलासपुर/10/ श्रीमती सोनिय सलुजा पति मुकेश गौरीशंकर मंदिर रोड रायगढ़/11/चन्द्रहास आ.भगवानदीन शुक्ला राजेन्द्रनगर बिलासपुर,दिनांक21.12.2015 को /12/ श्रीमती रूनिता खलखो वगै. रामभाठा रायगढ/13/सुशीलकुमार एक्का वगै. रामभाठा रायगढ़/14/कु. अनुपमा एक्का वगै. रामभाठा रायगढ़/15/श्रीमती अनुपम सविता एक्का रामभाठा रायगढ़ का दावा/ आपत्ति प्राप्त हुआ है।

महाप्रबंधक, एनटीपीसी लि. तिलाईपाली से जवाब प्राप्त। तहसीलदार, रायगढ़ से जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.02.2016 प्राप्त। दावा/आपत्ति के संबध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आपत्तिवार विवरण निम्नानुसार है :–

1. योगीलाल आ. डिलेश्वर निवासी ग्राम कोतरलिया तह. व जिला रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति उक्त भूमि खसरा नं. 502 समाहित एवं उल्लेखित नही है लेकिन वास्तविक स्थिति में भूमि समाहित हो रहा है तो उक्त प्रारंभिक अधिसूचना प्रार्थी के जमीन का भी पृथक अधिसूचना जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

आपत्तिकर्ता योगीलाल आ. डिलेश्वर की भूमि खसरा नं. 502 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं होने के कारण प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया जाना संभव नहीं है।

2. श्रीमती रूमिता खलखो वगै. रामभंठा रायगढ़
3 सुनील कुमार एक्का वगै. रामभांठा रायगढ़
4. कु. अनुपमा एक्का वगै. रामभांठा रायगढ़
5. श्रीमती अनुपम, सविता एक्का रामभांठा रायगढ़
6. मुकूल झा आ. स्व. एन.डी. झा निवासी किरोडीमल कॉलोनी रागयढ़
7. श्रीमती सीमा झा पति मुकूल झा नित्र किरोडीमल कॉलोनी रायगढ़
8. थेयोफिल लकडा पिता श्री मार्लेश लकडा जाति उरॉव नि.दूसरी पुलिया आलोक विहार ढिमरापुर रायगढ़
9 सुरेश खलखो आ. श्री जुनस खलखो नि. रामभांठा नीचे पारा रायगढ़
10 श्रीमती प्लासी दिया खलखों पति श्री प्रदीप कुमार खलखो नि. रामभांठा रायगढ़
11 कुमारी अलमा खलखो आ0 इमिल खलखो ग्राम डंडाजोर पो0 कांसाबेल जिला जशपुर
12 नाबा.सकिर्तन कौर आजमानी आ. कृपालसिंह आजमानी राची पालक नानी सुरेन्द्र कौर पति राजेन्द्रपाल नि. लालटंकी के पास रागयढ़

13 श्रीमती जयश्री भुक्ला पति चन्द्रहास भुक्ला, पालक माता नाबा. आशुतोष भुक्ला, उम्र 16 वर्ष पिता चन्द्रहास भुक्ला नि. राजेन्द्र नगर बिलासपुर

14. सोनिया सलूजा पति मुकेश सलूजा नि. गौरीशंकर मंदिर के पास रागयढ़

15. श्री चन्द्रहास भुक्ला आ. भगवान दिन भुक्ला निवासी राजेन्द्र नगर बिलासपुर द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :–

1. भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाशित कराई गई है ।

2. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।

3. (अ) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जोकि त्रुटीपूर्ण है।

(ब) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 केअधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारणअध्यन की अधिसूचना प्रका नकी तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12: प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा ।

4. खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना नही आता है।

5. आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं जवाबके अनुसार उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :–

1. प्रकरण में धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया है –
   1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग–1 पृ.क्र. 1527,
   2. समुचित सरकार(छ.ग.शासन)वेबसाईट (www.cg.nic.in/egazette)ई–राजपत्र –2/10/2015
   3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाईम्स में दिनांक. 17.10.2015
   4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि में दिंनाक 18.10.2015
   5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08.11.2015

2. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग.शासन द्वारा विहित प्रपत्र कराई गई है।
वर्तमान में कोतरलिया ग्राम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वारा किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।

3. (अ) छ.ग.शासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.03.2015 के कमांक एफ. 4–28/सात–1/2014 के अनुसार ओद्योगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

(ब) छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की प्रकाशनतिथी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज की गणना किया जावेगा।

4. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना का प्रकाशनवर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किये गये भू–अर्जन प्रस्ताव अनुसार किया गया है।

5. वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू–अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज नामों के अनुसार प्रभावितों को मुआवजा एवं अन्य पुनर्वास लाभ दिया जायेगा ।

आपत्तिकर्ता साधुचरण प्रधान आ. स्व. पलाउराम नि.ग्राम कोतरलिया जिला रायगढ़ का दावा/आपत्ति दिनांक 23.2.2016, अवधि वाह्य होने के कारण अग्राह्य किया गया।

महाप्रबंधक, एनटीपीसी लि. तलाईपाली द्वारा पत्र कमांक 5073/तलाईपाली/ एमजीआर/सेवा भूमि/04/16 दिनांक 22.4.2016 के साथ ग्रामवार सेवा भूमि की सूची संलग्न कर निवेदन किया है कि ग्राम कोतरलिया की सेवा भूमि ख.नं. 456, 460, 223 को अधिनियम की धारा 19 की कार्यवाही से पृथक किया जावे।

(4) उपरोक्तानुसार दावा/आपत्तियों का निराकरण करते हुए तथा सेवा भूमि ख.नं.456, 460, 223 कमशः रकबा 0.405, 0.129, 0.049 हे. को अधिग्रहण की कार्यवाही से पृथक करते हुए शेष भूमि कुल ख.नं. 154 कुल रकबा 22.724 हे. के लिए प्रकरण में अधिनियम की धारा–19 की घोशणा के प्रकाशनकी कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :–

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग–1 पृ.क्र. 1007,1008,1009
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. दैनिक भास्कर में दिंनाक. 18.05.2016
   2. रायगढ़ संदेश में दिंनाक. 19.05.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 19.05.2016

प्रकरण में धारा 19 की घोशणा के प्रकाशन के पूर्व तथा प्रकाशन के उपरांत/1/ भोमनाथ दिनांक 15.05.16,/2/मुकुल झा,/3/सीमाझा, दि.31.05.2016,/4/सुभाश बेहरा/5/नरेश मिततल /6/प्रकाश पाहवा/7/रीना पाहवा/8/अजयथवाईत/9/भीतलथवाईत/10/सुयशवर्णकार /11/ स्वेता मोदी/12 अमित मोदी/13/पुश्पा पाहवा/14/पूनम पाहवा/15/सूरज पाहवा /16/ मणी पाहवा दिनांक 06.06.16,/17/सुनाउ एवं/18/राजकुमार दिनांक 13.06.16 के आवेदन प्राप्त हुये हैं। उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण अधिनियम की धारा 21 के तहत प्राप्त आपत्तियों के साथ की गई है।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा–21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू–स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। किन्तु कुछ खातेदारों के समक्ष में निवेदन करने पर उचित सुनवाई का अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तकबढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा आपत्तियों के संबंध में आवेदक निकाय एवं तहसीलदार, रायगढ़ को संयुक्त स्थल जांच कर स्थल पंचनामा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया । पकरण में राजस्व अभिलेख के अद्यतन नहीं होने तथा प्रस्तावित एलायेमेंट नक्शा में पायी गई त्रुटि एवं अधिक संख्या में प्रस्तुत दावा/आपत्तियों के निराकरण में होने वाले विलम्ब के कारण प्रकरण में समयावधि में अवार्ड पारित किया जाना संभव नहीं हुआ। फलस्वरूप भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के तहत प्रकरण में अवार्ड पारित करने हेतु समयसीमा वृद्धि के लिये जारी अधिसूचना का प्रकाशन समाचार पत्र नईदुनियां दिनांक 06.7.2017, रायगढ़ संदेश दिनांक 05.7.2017 एवं ग्राम दिनांक 14.7.2017 को कराया गया । तथा छ.ग.शासन राजस्व विभाग की प्राधिकृत बेवसाईड मे अपलोड किया गया।

प्रकरण मे धारा 21 की सूचना उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ संयुक्त स्थल पंचनामा दिनांक 05.05.2017 के साथ स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार रायगढ़ के प्राप्त जांच प्रतिवेदन कमांक क्यू/तह./वाचक/2017/3089ए/रायगढ़ दिनांक 26.07.2017 के अनुसार दावा/आपत्तियों के बिन्दुवार निराकरण का विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदक श्री अमित मोदी आ0 अशोक मोदी द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 रकबा 0.486 हे. से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/4 एवं ऋण पुस्तिका क. 1755645 है। इसका मुआवजा बाजार दर में आवेदक को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

2. आवेदिका श्रीमति शीतल थवाईत पति अजय थवाईत रायगढ़ द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/2 से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/15 एवं ऋण पुस्तिका क. 1755424 है। इसका मुआवजा बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

3. आवेदिका स्वेता मोदी पि0 अमित मोदी रायगढ़ द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 रकबा 0.486हे. से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/13 एवं ऋण पुस्तिका क. 1755424 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

4. आवेदिका श्रीमति रीना पाहवा पति प्रकाश पाहवा दरोगापारा रायगढ द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/2 से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/12 एवं ऋण पुस्तिका क. 1755423 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

5. आवेदिका पुष्पा पाहवा पति जगदीश पाहवा द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/3 एवं ऋण पुस्तिका क. 1708839 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

6. आवेदिका पूनम पाहवा पति हर्ष पाहवा द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/2 से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/7 एवं ऋण पुस्तिका क. 1708823 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

7. आवेदक अबुल कलाम आजाद पि0 एस0 एम0 मुरतुजा द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/5 एवं ऋण पुस्तिका क. 1708821 है। जमीन तथा उस पर 500 वर्गफुट पर बने पक्का मकान का मुआवजा मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

8. आवेदक नरेश मित्तल व0 रामनिवास मित्तल द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/2 से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/10 एवं ऋण पुस्तिका क. 1708826 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

9. आवेदक सुयश स्वर्णकार पिता नरेन्द्र स्वर्णकार एवं श्रीमति कमल स्वर्णकार पति नरेन्द्र स्वर्णकार चोपड़ा गली रायगढ द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/2 से 0.052हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/18 एवं ऋण पुस्तिका क. 1755939 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

10. आवेदक मणी पाहवा पि0 हर्ष पाहवा द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 से 0.040हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/17 एवं ऋण पुस्तिका क. 1755647 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

11. आवेदक सूरज पाहवा पि0 हर्ष पाहवा द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 से 0.040हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/16 एवं ऋण पुस्तिका क. 1755646 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

12. आवेदक प्रकाश पाहवा व0 सेवाराम पाहवा द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/4 एवं ऋण पुस्तिका क. 1708840 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

13. आवेदक अजय थवाईत व0 एम0 एल0 थवाईत द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 से 0.081हे. भूमि कय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/6 एवं ऋण पुस्तिका क. 1708822 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

14. आवेदिका सीमा झा पति मुकुल झा द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/2 से 0.081हे. भूमि क्रय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/11 एवं ऋण पुस्तिका क. 1755422 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

15. आवेदक मुकुल झा आ. एन.डी.झा द्वारा निवेदन किया है कि ख.नं. 505/1 से 0.081हे. भूमि क्रय कर नामांतरण करा लिया है जिसका ख.नं.505/8 एवं ऋण पुस्तिका क. 1708824 है। इसका मुआवजा प्रार्थी के नाम से बाजार दर में आवेदिका को दिया जावे।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 505/1 से रकबा 0.486 हे0 की भूमि हर्ष पाहवा व0 जगदीश पाहवा के दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की गई है।

16. आपत्तिकर्ता सीमा झा पति मुकुल झा किरोड़ीमल कालोनी रायगढ़ ख.नं. 505/2, मुकुल झा पि एन0डी0 झा ख.नं.505/1 से, सुरज कुमार / रामभोय रायगढ ख.नं. 1/10, 1/14, सुनील कुमार एक्का ख.नं. 1/20 , अनुपमा, सविता व0 सुशील कुमार वगै0 ख.नं. 1/14 से, रूनिता खलखो पति मिलन कुमार ख.नं. 1/10, अविनाश लकड़ा व0 करतुस लकड़ा ख.नं. 81 से, तरूण, कांति लकड़ा व0 करतुस लकड़ा ख.नं. 81 से द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है।

1. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा 11(1) भू अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईट में प्रकाशन न कराकर छल पूर्वक एनटीपीसी में कार्यरत कर्मचारीयों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईट में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईट में प्रकाशन कराया जाता है जबकि भू अर्जन की प्रकिया में समायावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11(1) के प्रकाशन के पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधानित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओ पर भू अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08. 2015 था, चूंकि भारत सरकार (1) के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छूट के दायरे में लाया गया है, जबकि उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेवसाईट में से किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ0ग0 शासन के द्वारा एवं भू अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

3. यह कि धारा 11 के बेवसाईट में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहां दूसरी ओर धारा19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12. 2015 को जारी किया गया था। जिसमें भूमि अभिलेखों का अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसों के नामों को प्रवृष्टि करना भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यवहारों जैसे– विकी, दान,विभाजन आदि की पुष्टी करना बंधक के प्रवृश्टियों को को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादि उल्लेखित है किन्तु अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धारा 11(1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू अर्जन की धारा 86, 87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

5. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किय जा सकता है।

6. धारा 19 पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन तथा घोशणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है। किन्तु पुनर्वास व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धार 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोशणा तब तक नहीं किया जावेगा,जब तक पुर्नवास व पुनर्व्यवस्थापन का योजना का सार

ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता। अतएव त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एनटीपीसी द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है। जो कि अवैधानिक है।

7. यह कि धारा 11 के परिपेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था किन्तु महाप्रबंधक एनटीपीसी एवं तहसीलदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दूवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गयी है जो कि अनूचित है।

8. एक ओर एनटीपीसी के पुनर्वास नीति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/– रू0 प्रति माह उल्लेखित है,जबकि 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू अर्जन के मुआवजा के अतिरिक्त 30000/–रू0 प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/– रू0 बढ़ाया जायेगा। जबकि सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय में रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और ना ही इस संबंध में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः ना तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और ना ही धारा 16(5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चुंकि छ0ग0 शासन का कृषि भूमि में निरंतर भूमि स्वामी है एवं एनटीपीसी प्रस्तावक है,ऐसी स्थिति में 2013 भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्ट्रर्ड भूमि स्वामी को उसके संविधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

9. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू अर्जनकी अग्रिम कार्यवाही किया जावे तामि भविष्य में एनटीपीसी लारा के परियोजना की भांति इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े। यदि जानबूझकर कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एनटीपीसी की होगी।

10. यह कि धारा 19 में दिनांक 06.02.2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालरन नहीं किया गया है। अतएव सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य व अर्वधानिक है।

11. एनटीपीसी की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एनटीपीसी के द्वारा ग्राम गहिलगढ़ (पं0) विद्यांचल (म0प्र0) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमि स्वामीयों को नौकरी के एवज में 700000/– रू0 (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एनटीपीसी के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नही कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना दिया जावे चूंकि अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एनटीपीसी के द्वारा 22.00 लाख रू0 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

16 उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

ग्राम कोतरलिया में एनटीपीसी रेलवे लाईन हेतु भू–अर्जन "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के प्रावधानो के अनुसार की जा रही है।

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम कोतरलिया के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.16 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के

अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

3. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग–1 पृ.क्र. 1527,
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन)वेबसाईट(www.cg.nic.in/egazette)ई–राजपत्र–2/10/15
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाईम्स में दिनांक. 17.10.2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि में दिंनाक 18.10.2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08.11.2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

6. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

7. धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्रस्तुत दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया है। तत्पश्चात प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।

8. प्रकरण में दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

9. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना दी गई, एवं प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया गया है।

10. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.16 एवं पुनः 30.7.16 को धारा 21 की सुनवाई भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। अतः धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर दिया गया था।

11. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन/ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

17. आपत्तिकर्ता जयश्री शुक्ला पति चन्द्रहास शुक्लाख.नं.104/3 से, चन्द्रहास शुक्ला पि0 भगवानदीन शुक्ला ख.नं. 104/4 से, द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है।

1. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता ।

2. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

3. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदे ित किया गया था कि भू–अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्दे ित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदश को सम्पूर्ण छ.ग.में पालन किया जाना है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी स्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा 11 (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रतिशत कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईट में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईट में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईट में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 06/02/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. श भासनके द्वारा 02.03. 2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदे ा पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेवसाईट में किसी भी रीति से प्रका ाननहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.श भासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है। भासन

8. यह कि धारा 11 के बेवसाईट में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रका ान दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रका ान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

9. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रका ानके पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, अतएव पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से मुआवजा राशि एवं सर्वोतम पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का आपत्तिकर्ता अधिकारी है।

10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यांन में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी. लारा के परियोजना की भांति इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनाव यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े । यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के संवैधानिक हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू –अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. भासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रका ाननहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति वर्ग फुट की दर से मुआवजा राा का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे।

17. उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

ग्राम कोतरलिया में एनटीपीसी रेलवे लाईन हेतु भू–अर्जन"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के प्रावधानो के अनुसार की जा रही है।

1. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

2. प्रकरण में अधिनियम की धारा 11 के प्रकाशन पश्चात् समयावधि में प्रस्तुत दावा आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण उपरांत आगे की कार्यवाही की जा रही है।

3. ग्राम रेगालपाली एवं टारपाली के भू–अर्जन प्रकरण से संबंधित रिट पीटिशन कमाक–उब्ल्यू पीसी 1507/2016 एवं 1508/2016 में शासन की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका हे। प्रश्नाधीन रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. श भासनव

अन्य माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। तथा माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन किया जावेगा।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम कोतरलिया के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.16 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.16 एवं पुनः 30.7.16 को धारा 21 की सुनवाई भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू–अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब सांइट में भी अपलोड किया गया था

7. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. श भासनके द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

8. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग–1 पृ.क्र. 1527,
2. समुचित सरकार (छ.ग. शासन)वेबसाईट(www.cg.nic.in/egazette)ई–राजपत्र–2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाईम्स में दिनांक. 17.10.2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि में दिंनाक 18.10.2015
5. ग्राम प्रकाशनदिनांक 08.11.2015 उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

9. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

10. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार नियमानुसार धारा 11 एवं 19 की अधिसूचना का प्रकाशन उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करते हुए तथा धारा 21 के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जा रही है।

11. प्रकरण में दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन/ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुर्नवास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के भोडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है। जिसका प्रकाशन धारा 19 की घोषणा के साथ विधिवत कराया गया है। अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ प्रभावितों को देय है।

माह उल्लेखित है, जबकि 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू अर्जन के मुआवजा के अतिरिक्त 30000/–रू0 प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/– रू0 बढ़ाया जायेगा। जबकि सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय में रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और ना ही इस संबंध में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः ना तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और ना ही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चुंकि छ0ग0 शासन का कृषि भूमि में निरंतर भूमि स्वामी है एवं एनटीपीसी प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में 2013 भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/ रजिस्ट्रर्ड भूमि स्वामी को उसके संविधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

10 .एनटीपीसी की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एनटीपीसी के द्वारा ग्राम गहिलगढ़ (पं0) विद्यांचल (म0प्र0) में कृशि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमि स्वामीयों को नौकरी के एवज में 700000/–रू0 (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एनटीपीसी के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नही कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना दिया जावे चूंकि अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एनटीपीसी के द्वारा 22.00 लाख रू0 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

11. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/ जानकारी देने के उपरांत ही भू अर्जनकी अग्रिम कार्यवाही किया जावे तामि भविश्य में एनटीपीसी लारा के परियोजना की भांति इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े। यदि जानबूझकर कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एनटीपीसी की होगी।

18. उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

ग्राम कोतरलिया में एनटीपीसी रेलवे लाईन हेतु भू– अर्जन "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुंनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के प्रावधानो के अनुसार की जा रही है।

1. वर्तमान में प्रभावित ख.नं. 2 रकबा 0.146 हे. एवं 3/5 रकबा 0.077 हे. मूल भू–स्वामी यशवंत खेडुलकर के नाम दर्ज है। दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी तथा न्यायलय के निर्णय अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा।

2. प्रकरण में अधिनियम की धारा 11 के प्रकाशनपश्चात् समयावधि में प्रस्तुत दावा आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण उपरांत आगे की कार्यवाही की जा रही है।

3. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम कोतरलिया के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.16 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

5. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग–1 पृ.क्र. 1527,
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन)वेबसाईट(www.cg.nic.in/egazette) ई–राजपत्र–2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाईम्स में दिनांक. 17.10.2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि में दिंनाक 18.10.2015

5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08.11.2015 उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

6. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं

तथा अधिग्रहित भूमि का नये अधिनियम के अनुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया जावेगा।

18. 1. आपत्तिकर्ता विजयंत खेडुलकर आ. एम.के. खेडुलकर, रायगढ, यशवंत खेडुलकर पि0 एम0के0 खेडुलकर ,श्रीमति सीमा खेडुलकर पति यशवंत खेडुलकर रायगढ़ श्रीमति नीला खेडुलकर पति स्व0 एम0 के0 खेडुलकर रायगढ़ द्वारा कोतरलिया प0ह0न0 19 में संयुक्त स्वामित्व की भूमि ख0न0 1/49, 2 एवं 3/5 रकबा कमशः 0.235, 0.146 तथा 0.097 हे0 स्थित है। जिसे की माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायालय वर्ग –2 के द्वारा जयंत खेडुलकर व अन्य 4 बनाम यशवंत खेडुलकर व अन्य प्रकरण क0 163 अ/13 मे पारित निर्णय दिनांक 25.01.14 के अनुसार आपत्तिकर्ता श्रीमति सीमा खेडुलकर को निर्णय अनुसार 2 में से 0.042 हे0 कृशि भूमि का स्वामित्व प्राप्त होना लेख करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं में आपत्ति की गई है:–

2. यह कि उक्त भूमि एनटीपीसी के माईनिंग परियोजना के तहत प्रभावित हो रही है। चुंकि आपत्तिकर्ता को उक्त भूमि अंधिग्रहण की जानकारी पूर्व में नही थी इस हेतू आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सका तथा धारा 21 का नोटिस सकल खातेदार के किसी भी सदस्यों को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 26.06.2016 को दैनिक भास्कर में नोटिस प्रकाशन कर दिनांक 27.06.2016 को आपसी सुनवाई हेतु नियत किया गया जो समुचित नहीं है।

3. यह कि संपत्ति का विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता हैं।

4. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा 11(1) भू अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईट में प्रकाशन न कराकर छल पूर्वक एनटीपीसी में कार्यरत कर्मचारीयों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईट में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईट में प्रकाशन कराया जाता है जबकि भू अर्जन की प्रकिया में समायावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11(1) के प्रकाशन के पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधानित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

5. यह कि धारा 11 के बेवसाईट में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहां दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

6. धारा 19 पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है। किन्तु पुनर्वास व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धार 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोशणा तब तक नहीं किया जावेगा,जब तक पुर्नवास व पुनर्व्यवस्थापन का योजना का सार ऐसी घोशणा के साथ नहीं किया जाता। अतएव त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एनटीपीसी द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है। जो कि अवैधानिक है।

7. यह कि धारा 19 में दिनांक 10.06.2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है,जिसका पालरन नहीं किया गया है। अतएव सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य व अर्वधानिक है।

8. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओ पर भू अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार (1) के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छूट के दायरे में लाया गया है, जबकि उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारुप मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेवसाईट में से किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ0ग0 शासन के द्वारा एवं भू अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

9. एक ओर एनटीपीसी के पुनर्वास नीति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख या वार्शिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/– रू0 प्रति

होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी स्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे । निर्देशित

3. यह कि धारा 11 के बेवसाईट में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

4. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है।जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता।

5. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक10/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशनके प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अंवैधानिक है।

6. यह कि धारा11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू–अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

7. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशनके पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे–बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशनके उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धारा 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

19 आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

1. ग्राम कोतरलिया में एनटीपीसी रेलवे लाईन हेतु भू–अर्जन"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के प्रावधानो के अनुसार की जा रही है।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. भासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

3. ग्राम रेगालपाली एवं टारपाली के भू–अर्जन प्रकरण से संबंधित रिट पीटिशन कमाक –उब्ल्यू पीसी 1507/2016 एवं 1508/2016 में श भासन की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका हे। प्रश्नाधीन रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य माननीय उच्च्य न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। तथा माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन किया जावेगा।

4. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग–1 पृ.क्र. 1527,
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/egazette)ई–राजपत्र–2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाईम्स में दिनांक. 17.10.2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि में दिंनाक 18.10.2015

5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08.11.2015 उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

5. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/ समाचार पत्र/ ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

6. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.16 एवं पुनः 30.7.16 को धारा 21 की सुनवाई भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू–अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड किया गया था ।

7. प्रकरण में अधिनियम की धारा 11 के प्रकाशन पश्चात् समयावधि में प्रस्तुत दावा आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण उपरांत आगे की कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में राजस्व अभिलेख के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार नियमानुसार राजस्व अभिलेख को दुरुस्त कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। तथा प्रकरण अधिनियम की धारा 11 के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों के निराकरण उपरांत नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।

20. आपत्तिकर्ता उजलमती बेवा मनहा जाति रावत द्वारा आपत्ति है कि अधिग्रहण की जा रही ख.नं. 451/1,452/1 कुल रकबा 0.137हे. से मेरी बड़ी बहन उकिया पिता मेनहा का निःसंतान फौत हो जाने के कारण नाम काटा जाकर भूमि अर्जन से मुआवजा/ बोनस राशि अलग– अलग राशि प्रदान करते हुए 20 वर्श की राशि छतिपूर्ति के रूप में एवं हमारे परिवार के आश्रित व्यक्तियों का शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलाई जाये।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार अधिग्रहण की जा रही ख.नं. 451/1, 452/1 से कुल रकबा 0.137 हे. उजलमती एवं उकिया पिता मेनहा के नाम दर्ज है तथा दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी एवं अनुमोदित पुनर्वास योजना का दिया जावेगा।

21. आपत्तिकर्ता केशव यादव आपत्ति की गई है कि अधिग्रहण की जा रही ख.नं. 451/1,452/1 से कुल रकबा 0.137 हे.उकिया पि0 मेनहा के स्थान पर उसके वसियतकर्ता केशव पिता निरंजन यादव को राशि प्रदान करते हुए 20 वर्श की राशि छतिपूर्ति के रूपये मेरे परिवार के आश्रित व्यक्तियों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलाई जाये।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार अधिग्रहण की जा रही ख.नं. 451/1,452/1 से कुल रकबा 0.137 हे. उजलमती एवं उकिया पिता मेनहा के नाम दर्ज है तथा दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी एवं अनुमोदित पुनर्वास योजना का दिया जावेगा।

22. आपत्तिकर्ता हीराराम वगैरह द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 206, रकबा (हे.) 0.101 भूमि पर सिर्फ 1 नग महुआ पेड़ की गणना की गई है जबकि उक्त भूमि पर 2 नग और महुआ का वृक्ष है। अतः उक्त भूमि पर पुनः पेड़ की गणना कराई जाये।

आवेदक की भूमि का मौका जांच किया गया। मौके पर तीन नग महुआ का पेड़ स्थित है।

23. आपत्तिकर्ता खगेश्वर पि0 पलाउ राम की भूमि ख.नं. 563/2 एवं 567/2 कुल रकबा 0.147 हे. भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि के मध्य में रेल लाईन हेतु भू–अर्जन किया जा रहा है। जिसमें उपरोक्त भूमि के शेश रकबे की भूमि कृशि योग्य नहीं रह जायेगा एवं उक्त भूमि पर सरलतापूर्वक कृशि कार्य

किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण शेश भूमि निरर्थक एवं अयोग्य हो जायेगा। शेश भूमि को भी लिया जाकर उचित मुआवजा राशि प्रदान किया जाये।

राजस्व अभिलेख के अनुसार ख.नं. 563/2 एवं 567/2 कुल रकबा 0.248हे. से 0.147 हे. अधिग्रहण की जा रही है। शेष भूमि पर कृशि कार्य में असुविधा की स्थिति में पूरक प्रस्ताव में लिया जावेगा।

24. आपत्तिकर्ता साधु चरण पि0 पलाउ राम की भूमि ख.नं. 567/1 कुल रकबा 0.203 हे. भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि में 0.081 हे. भूमि रेल लाईन हेतु भू–अर्जन किया जा रहा है। जिसमें उपरोक्त भूमि के शेश रकबे की भूमि कृशि योग्य नहीं रह जायेगा एवं उक्त भूमि के मध्य में रेल लाईन जाने पर कृशि काज किया जाना सम्भव नहीं है। इस संबध में पूर्व में भू–अर्जन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका निराकरण आज तक नहीं हो सका। आवेदन पत्र स्वीकार कर शेश भूमि को भू–अर्जन में लेकर आदेश पारित किया जाये।

राजस्व अभिलेख के अनुसार ख.नं. 567/1 रकबा 0.203 हे. मौका जांच के अनुसार प्रभावित नहीं हैं एवं ख.नं.563/4 रकबा 0.091हे. से कमशः 0.020 हे. अधिग्रहण की जा रही है।

25. आपत्तिकर्ता भोजराम पि0 सदाशिव प्रधान की भूमि ख.नं. 207/1 कुल रकबा 0.073 है जिमसें से 0.032 भूमि अर्जित की जा रही है। शेश रकबा 0.041 मेरे कोई. उपयोग का नहीं रह जायेगा। अतः ख.नं. 207/1 के 0.073 का पूर्ण रकबा को अधिग्रहित किया जाये।
वर्तमान में प्रस्तावित ख.नं. 207/1 कुल रकबा 0.073 है मौका जांच के अनुसार प्रभावित नहीं है।

26. आपत्तिकर्ता बजरंग अग्रवाल पि0 राधेश्याम अग्रवाल की आपत्ति निम्नानुसार है।

1. यह कि वाद भूमि स्थित ग्राम कोतरलिया , प.ह.न. पुराना –37 तह. जिला रायगढ़ के खसरा नम्बर –1, 3 मे से कई टुकड़ों पर, कुल रकबा 6.09 एकड़ 2.760 हे. भूमि में से विभिन्न क्रेताओं को पंजीकृत विक्रय पत्र के तहत विक्रय कर, विक्रय प्रतिफल की रकम प्राप्त कर उसका कब्जा विधिवत् सौंप दिया हूं।

2. यह कि उपरोक्त पंजीकृत विक्रयपत्र के तहत क्रेतागण द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरण करने के पश्चात् उपरोक्त नामान्तरण को स्वमेव संज्ञान में लिया जाकर वाद भूमि छोटे– छोटे टुकड़ो के क्रय होना व अवैध नामान्तरण/बटवारा होना पाये जाने के कारण, आपत्तिकर्ता को बिना सुने क्रेतागण के पक्ष में की गई उक्त नामान्तरण आदेश को निरस्त किया गया है। जिसकी अपील मा. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और ऐसी स्थिति में अपील के लंबन काल तक, किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही दूशित होकर विधि विरूद्ध है।

3. यह कि वर्तमान में उक्त वाद भूमि पर मेरा नाम नहीं है इसलिये सर्वप्रथम उक्त क्रेतागण को भी इस प्रकरण में आहूत कर सुना जाकर यह निष्कर्ष निकालने के उपरांत ही के वास्तव में उक्त भूमि पर नका हक अधिकार नहीं रहा है और इस आशय का लिखित में सहमति लेने के उपरांत ही आपत्तिकर्ता द्वारा वर्तमान प्रकरण में अपनी भूमि का अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की सहमति प्रदान करेगा।

4. यह कि मा.न्या. द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरित कार्यवाही किया जाता है तब उक्त स्थिति में होने वाले नुकासानी दावा या किसी प्रकार की क्षति हेतु उक्त क्रेतागण द्वारा कार्यवाही किया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सहित विभिन्न मुकदमें बाजी में होने वाले परेशानी एवं क्षति की पूर्ति की भी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक सहित भू– अर्जन अधिकारी की भी रहेगी ।

5. यह कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्षय में यद्यपि कोई भी भू– अर्जन की कार्यवाही आपत्तिकर्ता के नाम से किया जाता है तो वह स्पष्ट रूप से जानकारी प्रदान कराई जावे कि आपत्तिकर्ता द्वारा विक्रय किया गया भमि की पंजीकृत दस्तावेज के अस्तित्व में होते हुये भी उसको नंजर अंदज कर विक्रय पत्र दस्तावेज के अनुपालन की कोई कृत्य नहीं किया जा रहा है। यहां यह भी स्पशट किया जाता है। कि विक्रयपत्र दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। फिर भी किस विधि के तहत उसको अनदेखा किया जा रहा है।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख0न0 1/8, 1/5ख, 1/18, 3/12क, 3/16, 3/8, 1/25, 1/12, 1/35, 3/1 रकबा कमशः 0.016, 0.041, 0.061, 0.024, 0.016, 0.093, 0.101, 0.008, 0.040, 0.202 हे. बजरंगलाल पिता राधेश्याम अग्रवाल सेवा कुंज रोड गर्स कालेज के पास रायगढ़ के नाम

दर्ज है, तथा दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी, तथा न्यायालय के निर्णय अनुसार मुआवजा का भुगतान किया जावेगा।.

27. आपत्तिकर्ता बिहारीलाल प्रधान पि0 पूर्णचंद जाति कोलता के ख.नं. 226/2 रकबा 0.057 भूमि पर कुल झाड़ संख्या में कुल 4 नग 1 नग साजा , 2 नीम, तथा 1 मौहा झाड़ छूट गया है तथा कृशक के छूटे हुए कुल 4 नग झाड़ को जोड़ा जाये।

मौका जांच किया गया मौके पर 5 महुआ, 4 नीम, 1 सरसिंवा, 1 आम पेड़ मौके पर स्थित है।

28. आवेदकगण श्रीमति शकुंतला पति हेमकुमार वगै0के ख.न. 225/1 से रकबा 0.065 हे. एवं ख.नं. 288 से रकबा 0.101 हे. भूमि को पंजीबध्द विक्रय के माध्यम से दिनांक 2 मई 2008 को उग्रसेन आ.मोहन जाति कोलता निवासी ग्राम कोतरलिया से विधिवत क्रय कर काबिज है भू– अर्जन में खातेदार गोसाईराम आ. अरतो एवं अन्य के नाम पर भू–अर्जन मुआवजा राशि बनाया जा रहा है। जबकि उपरोक्त उल्लेखित भूमि के वास्तविक खातेदार आवेदकगण है। अतः आपत्ति के आधार पर आवेदकगण के क्रयसुदा काबिज भूमि ख.नं. 225/1 एवं 288 के भूमि का भू–अर्जन मुआजवा राशि आवेदकगण को दिलाई जावे अन्यथा व्यवहार न्यायालय में लंबित व्यवहार प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उपरोक्त उल्लेखित भूमि के संबंध में किसान को भूमि मुआवजा देने से रोका जायें

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रभावित ख.न. 288 रकबा 0.121 हे. गोसाईराम पिता हर्शो के नाम दर्ज है एवं दर्ज नाम अनुसार मुआजवा की गणना की जावेगी। तथा न्यायालय के निर्णय अनुसार मुआवजा का भुगतान किया जावेगा।

29. आपत्तिकर्ता रामलाल बनखेता के ख.नं. 95/2, 68/1, 85, 86, 87, 96 70/2 ख, 92/2, भूमि पर कुल झाड़ की संख्या कुल 142 पेड़ को उल्लेखित नहीं किया गया है। अतः छूट कुल 142 पेड़ को जोड़ा जाये। पेड़ के इन्द्राज के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा आवेदक के आवेदन के अनुसार मौका पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर पलास 35, कोरिया 5, नीम 7, बेर 2, केकट 2, खम्हार 7, सागौन 9, सेन्हा 6, कोरिया 1, खैर 4, चार 7, मौहा 7, साजा 9, तेन्दु 2, पीपल 1, आम 7 पेड़ गणना योग्य तथा बोर एक 3 एच पी पाया गया।

30. आपत्तिकर्ता गोकुल पि0 प्रेमसिंह द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 3/14 रकबा 0.198 हे., 108/11 रकबा 0.405 तथा 1/6 रकबा 0.113 कुल रकबा 0.716 हे. भूमि आपत्तिकर्ता के नाम पर दर्ज है। आपत्ति है कि मेरे नाती अनिरूध्द राठिया पिता गंगाधर राठिया उनकी योग्यताओं के आधार पर जिस कार्य हेतु भूमि अर्जन किया जा रहा है उसमें नौकरी दिलाया जावे। मेरे नाती का जीवन यापन करने हेतु किसी और किसी प्रकार का भूमि नहीं है और मेरा यापन मेरे नाती द्वारा किया जा रहा है। नियमानुसार आवेदक को अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।

31. आपत्तिकर्ता श्रीमति श्याम कुमारी पटेल द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 516/2 कुल रकबा 0. 202 हे. से रकबा 0.182 हे. के भू – अर्जन होने से शेश बज रहे भूमि को भी अर्जित कर मुआवजा देने का आग्रह है। ख.नं.516/2 रकबा 0.202हे. में से प्रभावित रकबा 0.182 हे. प्रस्तावित है। शेष रकबा 0. 020 को पूरक प्रस्ताव में लेने हेतु विचार किया जावेगा।

32. आपत्तिकर्ता नरेन्द्र कुमार पटेल द्वारा आपत्ति की गई है कि उसके खं.नं. 515 रकबा 0.117 हे. में से रकबा 0.089 हे. का भू– अर्जन किया जा रहा है। जिससे शेश बजे भूमि 6.8 डेसीमल बच रहा है जिसके उपयोग करने में कठिनाई होगी।

मौका जांच कर पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर 1नग आम का पेड़ गणना योग्य पाया गया।

33. आपत्तिकर्ता सीताराम गुप्ता जाति द्वारा आपत्ति की गई है कि–यह कि सामुहिक खाते के मुल खातेदार कपील पिता रेगढू के नाम से धारा 21 का नोटिस दिनांक 20.5.16 प्राप्त हुआ है जो कि कपील का निधन दिनांक 24.3.16 को हो गया है। उक्त सह खातेदारों द्वारा ख.नं. 203/1 रकबा 0. 809 हे. प्रभावित हो रहा है, जिसका पर्याप्त मुआवजा तथा नियमित नौकरी की व्यवस्था न होने से हमे आपत्ति दर्ज है।

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओ पर भू अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार (1) के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छूट के दायरे में लाया गया है, जबकि उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेवसाईट में से किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ0ग0 शासन के द्वारा एवं भू अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि धारा 11 के बेवसाईट में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहां दूसरी ओर धारा19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है। विदित हो की रिट कमाक 1443 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के द्वारा पारित आदेश दिनांक

3. यह कि उक्त प्रस्तावित भू –अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामांतरण का अविधिक प्रकियाओ का पालन कर निरस्त कर दिया गया है। जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आपत्तिकर्ताओ के द्वारा जिला रायगढ़ के द्वारा नामांतरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामांतरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभयपक्ष के साक्षय इत्यादि) पूर्ण किया जा चुका है। एवं उक्त प्रकरण आदेश हेतु लंबित है जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ को प्रारम्भ से है तथा आपत्तिकर्ताओं के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाशन पर आपत्ति प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू– अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाशन

4. यह कि सम्पति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानव अधिकार भी है जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंछित नही किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा 11(1) भू अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईट में प्रकाशन न कराकर छल पूर्वक एनटीपीसी में कार्यरत कर्मचारीयों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईट में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईट में प्रकाशन कराया जाता है जबकि भू अर्जन की प्रकिया में समायावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11(1) के प्रकाशन के पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधानित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 4 (1) भू अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम कोतरलिया प.ह.न. 4 तहसील व जिला रायगढ़ में दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 22.12.2013 को प्रकाशन कराया गया था। जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 203/1 रकबा 0.809 कृशि भूमि प्रभावित उल्लेखित है उक्त भूमि भू–अर्जन की कार्यवाही कालातित होने के कारण व्यपगत हो गया था। किन्तु व्यपगत करने का क्षेत्राधिकार राज्य शासन को है। भू अर्जन अधिकारी व जिला कलेक्टर रायगढ़ को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसे धारा 48 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत अधिसूचना जारी कर ही भू अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत किया जाना प्रावधनिक है। जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

7. धारा 19 पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन तथा घोशणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है। किन्तु पुनर्वास व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धार 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा,जब तक पुर्नवास व पुनर्व्यवस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता। अतएव त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एनटीपीसी द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है। जो कि अवैधानिक है।

8. यह कि धारा 19 में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालरन नहीं किया गया है। अतएव सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य व अर्वधानिक है।

9. यह कि धारा 11 के परिपेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था किन्तु महाप्रबंधक एनटीपीसी एवं तहसीलदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू–अर्जन प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है। तथा बिना निराकरण के ही आग्रीम कार्यवाही की गई है। जो अनुचित है।

10. प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशनके पश्चात् भारत सरकार के द्वार अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था। जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है। जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों नामों को लोप करना मृतक व्यक्तियों के वारिसो के नामों को प्रविश्ट

करना भूमि के अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यवहारों जैसे बिक्री दान विभाजन आदि को प्रविश्टी करना बंधक के सभी प्रविश्टीयों को अभिलेखों प्रविश्टी करना इत्यादि उल्लेखित है। किन्तु उक्त अधिूचना के प्रकाश के उपरान्त दिनांक 23.02.2016 को धारा 11 (1) में आपत्ति में निराकरण हेतु नियत किया गया था। किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओ को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रहते हुए आपत्तिकर्ता के संविधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो कि भू– अर्जन की धारा 86–87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। विदित हो कि रिट क्रमांक 1143 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग.के द्वारा पारित आदेश दिनांक14.09.2015 के अनुसार भू –अर्जन अधिनियम 2013 के अध्यय 2 एवं अध्यय 3 का पालन करना उल्लेखित है। जिसका पालन नहीं किया गया है।

11. एक ओर एनटीपीसी के पुनर्वास नीति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख या वार्शिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/– रू0 प्रति माह उल्लेखित है, जबकि 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू अर्जन के मुआवजा के अतिरिक्त 30000/–रू0 प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्श तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्श में प्रति एकड़ 500/– रू0 बढ़ाया जायेगा। जबकि सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय में रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्श 2013–14 में नहीं हुआ है और ना ही इस संबंध में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः ना तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और ना ही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चुंकि छ0ग0 शासन का कृषि भूमि में निरंतर भूमि स्वामी है एवं एनटीपीसी प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में 2013 भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्ट्रर्ड भूमि स्वामी को उसके संविधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एनटीपीसी की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्श 2015 में एनटीपीसी के द्वारा ग्राम गहिलगढ़ (पं0) विद्यांचल (म0प्र0) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमि स्वामीयों को नौकरी के एवज में 700000/–रू0 (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एनटीपीसी के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नही कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना दिया जावे चूंकि अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एनटीपीसी के द्वारा 22.00 लाख रू0 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू –अर्जन प्रक्रिया के अनुकूल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना । जानकारी देने के उपरांत ही भू– अर्जन की अग्रीम कार्यवाही किया जावे। ताकि भविश्य में एनटीपीसी लारा के परियोजना के भांति इस परियोजना में भी भूमि में कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े यदि जानबूझकर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबादारी महाप्रबंधक एनटीपीसी की होगी।

उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

ग्राम कोतरलिया में एनटीपीसी रेलवे लाईन हेतु भू–अर्जन 'भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के प्रावधानो के अनुसार की जा रही है।

राजस्व अभिलेखों में प्रभावित भूमि ख.नं.203/1रकबा 0.809 हे.भीखारी, सविता, पिता कपील ललिता पिता सहदेव, बुटी वेवा सहदेव जरबन पिता रेगटू, सीताराम, जयराम राधेश्याम,अलेख पिता टिकेदाउ, भगवती वेवा टिकेदाउ के नाम से दर्ज है। दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी तथा अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।

1– भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.

08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

2– धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग–1 पृ.क्र. 1527,
2. समुचित सरकार(छ.ग.शासन)वेबसाईट(www.cg.nic.in/egazette)ई –राजपत्र –2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाईम्स में दिनांक 17.10.2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि में दिंनाक 18.10.2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08.11.2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

3– प्रकरण में राजस्व अभिलेखों की नकल के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही करते हुए समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अभिलेखों में दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी तथा मुआवजा का भुगतान न्यायलय के निर्णय अनुसार किया जायेगा।

4–भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5–भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.2015 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम कोतरलिया के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.16 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत दर्ज प्रकरण के कालातीत लेप्स होने तथा भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होने के कारण तथा नये अधिनियम के लागू होने व के भू–अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत होने के फलस्वरुप भूमि को भू–अर्जन की कार्यवाही से मुक्त नहीं किया गया तथा नियमानुसार नये भू–अर्जन अधिनियम के तहत अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

7–कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

8–धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.16 एवं पुनः 30.7.16 को धारा 21 की सुनवाई भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू–अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। अतः धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर दिया गया था।

9–धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्रस्तुत दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया है। तत्पश्चात प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।

10– भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम रेगालपाली एवं टारपाली के भू–अर्जन प्रकरण से संबंधित रिट पीटिशन कमाक–डब्ल्यू पीसी 1507/2016 एवं 1508/2016 में शासन की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका हे। प्रश्नाधीन रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। तथा माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन किया जावेगा।

11– दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय,कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12–भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

13– प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्ज भूमिस्वामी को धारा 21 की सूचना दी गई, एवं प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया गया है।

34. बोधराम पि0 जयचंद की आपत्ति है कि ख.नं. 210/2 रकबा 0.053 हे. भूमि का भूमि स्वामी है कोटवार के व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण आज तक मुझे नोटिस प्राप्त नहीं हुई। अतः उपरोक्त भूमि का मुआवजा मुझे प्रदान की जाये। तथा ग्राम कोटवार के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन के अनुसार ख0न0 210/2 प्रभावित नहीं होने के कारण धारा 93 के तहत प्रत्याहरण हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

35. दामोदर पि0 चंद्रिका जाति अघरिया द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :–

1. यह कि ग्राम कोतरलिया प0ह0न0 37 रा0नि0म0 रायगढ़ 2 ख0न0 210/2 से रकबा 0.129 हे0 भूमि को दिनांक 13.04.98 को आवेदक के द्वारा अनावेदक बोधराम से क्रय कर पंजीकृत विक्रय पत्र विधिवत नामांतरण कराकर वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज होते हुए चले आ रहा है।

2. यह कि आवेदक/आपत्तिकर्ता की उक्त भूमि ख0न0 210/5 रकबा 0.129 हे0 राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर चला आ रहा है।

3. यह कि उक्त भूमि को भू अर्जन अधिनियम के तहत रेल्वे लाईन हेतु एनटीपीसी कोलमाईंस तलाईपाली घरघोड़ा के द्वारा अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जा रही है जिसमें त्रुटिवंश सर्वे सूची में एनटीपीसी कोलमाईंस तलाईपाली के द्वारा बोधराम पि0 भूमि स्वामी का हक की कृषि भूमि है जिस पर वर्श 1998 से निरंतर काबिज होकर कृशि कार्य करते चले आ रहा हूं।

4. यह कि उक्त कृशि भूमि पर वर्तमान में रेल्वे लाईन हेतु भू अर्जन की कार्यवाही की जा रही है जिस पर अनावेदक उत्तरवादी का नाम सर्वेसूची मे दर्ज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है उक्त भूमि पर किये जा रहे भू अर्जन की मुआवजा राशि प्रदान की जावे तथा आवेदक आपत्तिकर्ता के द्वारा दिनांक 27.02.2016 को उक्त ख0न0 की भूमि 210/5 रकबा 0.129 हे0 वर्तमान रा0 अभि0 में दर्ज है उक्त भूमि ख0न0 210/2 से बटांक होने के बाद उक्त रा0 अभि0 सूची है सुधार किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा हल्का पटवारी से मौका मिलान कर अभिलेख दुरूस्त करने हेतु आदेशित किया गया है जिसका छायाप्रति संलग्न है।

संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन अनुसार ख0न0 210/5 प्रभावित होने पर पूरक सूची में लिया जावेगा।

36. आपत्तिकर्ता गेंसाईराम प्रधान पि0 हर्शो जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि उसके कब्जे की भूमि ख.नं. 288 रकबा 0.162 एवं ख.नं. 287 रकबा 0.113 हे. का औद्योगिक प्रायोजन हेतु भू – अर्जन किया जा रहा है। इसके संबंध में नोटिस में 6 वृक्षों का उल्लेख किया गया है जबकि उक्त भूमि में 12 सागौन, 2 नीम, 1 बबूल,का वृक्ष लगा हुआ है तथा भूमि पर मूंग का खेती करता हूं। अतः मौका जांच कर उक्त वृक्षों एवं खेती को सम्मिलित करते हुये भू– अर्जन का राशि निर्धारण किया जाये।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार मौके पर 4 सागौन, 2 नीम, 1 बबूल वृक्ष पाया गया। ख0 न0 288 के संबंध में न्यायालय में प्रकरण लंबित है।

37. आपत्तिकर्ता पुरूशोत्तम पटेल के जमीन ख.नं. 413, 80/2, 562, 52, 285/1, 289, 565, 566 282/2 में कुल रकबा 2.115 प्रभावित है। जिसमें कुल वृक्ष 62 नोटिस में उल्लेख किया गया है। जोकि कुल वृक्ष 90 हैं अतः वृक्षो के सही आंकलन कर मुआवजा प्रदान करें।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार मौके पर महूआ 13, चार , पलास 6, कहुआ 8 , नीम 20, बेर 2 , मुढी , बबुल 5 , रिंया 1, कसही 2, सरसिंवा 6, खैर , इमली 9, आंवला 1 , खम्हार 3 , करंज 1 , आम 1, निरगुण 2, सेन्हा 2, केकट 1, ऐंठी 7 मौके पर पाया गया।

38. आवेदक विजय पि0 बिशीकेशन द्वारा सूचना में उल्लेखित भूमि का अधिग्रहण पर जो मुआवजा हेतु वृक्ष दर्शाया गया है। उसमें से भूमि खसरा नं. 217/3 एवं 218/1 में स्थित उल्लेखित वृक्ष के अलावा 5 पेड़ मौहा, 1 पेड़ सागौन, को समयोजि करते हुए मुआवजा गणनाकर प्रदान किया जाये।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार मौके पर उक्त खसरा न0 में 21 महुआ वृक्ष पाया गया । एवं सागौन वृक्ष नही पाया गया।

39. श्याम लाल गुप्ता पि0. दौलत राम द्वारा आपत्ति की गई है कि भूमि के अधिग्रहण के सम्बंध में जो भी कार्यवाही हुई है उसे भूमि स्वामी को मौखिक या लिखित कोई भी सूचना नहीं दी गई है। अधिग्रहित भूमि पर स्थित पेड़ पौधो की जानकारी निरंक है जबकि भूमि पर बहुत पेड़ पौधे स्थित है भूमि सिंचित एवं दो फसली है तथा एक पक्का कुआं निर्मित है। भूमि का अर्जित रकबा 6755 वर्ग मी. है। शेष बची भूमि को भी अधिग्रहित किया जाये।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार मौके पर उक्त खसरा न0 में रोहिना 1, ऐठु 4, खम्हर 6, नीम 12, कठली 17, कसही 10, करंज 2, चार 2, डुमर 1 बेर 1 मुढ़ी 1, खैर 3, केकट 1 पेड़ पाया गया। एवं भूमि एक फसली सिंचित है तथा कुआं रेल लाईन में प्रभावित नहीं है।

40. आवेदक प्रेमलाल पटेल व0 हीरांराम पटेल का आपत्ति है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 20 अप्रैल 2015 को हो चुका है जिसके संबंध में मुआवजा संबंधी नोटीस क0 53/अ 82/ 15–16 प्रेशित की गयी है तथा ख0न0 217/5, 218/3 तथा 214 रकबा कमश 0.027, 0.026 तथा 0.65 है जिसमें कुछ वृक्ष की गणना बिना मुआवजा नोटिस पेश कि गयी है। उक्त भूमि में लगे वृक्षों की गिनती जो 3 पेड़ कहुआ का है के तहत मुआवजा राशि का भुगतान किया जाये।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार राजस्व अभिलेख में मृतक हीराम के स्थान पर उसके वारिस लक्ष्मीन वेवा हीरारांम प्रेमलाल,सरोज,सुंदरमती पिता हीराराम का नाम दर्ज है। मौका जांच पंचनामा तैयार किया गया मौके पर ख.नं218/3 में कौहा 2, जामुन 1 पेड़ पाया गया। तथा ख नं. 217/5 में वृक्ष नहीं हैं।

41. आवेदक पुनीराम, गुरबारी, बुधयारीन बाई, आ0 भगतराम के कानूनी वारीसान है तथा मुनुबाई एवं भुरी बाई की मृत्यु हो चुकी है। राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है। भूमि अधिग्रहण के बाद आधा एकड़ भूमि शेष बचता है। उक्त भूमि का मुआवजा 20 लाख प्रति एकड़ तथा बोनस 10 लाख रू0 तथा घर के 1 सदस्य का नौकरी अथवा नौकरी ना देने की स्थिति मे 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किया जावे। भूमि पर स्थित पेड़ का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। उसके एवज में 1.5 लाख मुआवजा प्रदान किया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि रेल कारीडोर में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रभावित होन पर पूरक सूची में ली जावेगी।

42. आवेदक माधव प्रसाद द्वारा आपत्ति किया गया है कि उक्त भूमि घरेलु विवाद के कारण न्यायालय में लंबित है। यह कि उपरोक्त भूमि के आधे हिस्से पर माधव प्रसाद का अधिकार है जिसके कारण भूमि का आपसी बंटवारा होना है। अतः माधव प्रसाद के द्वारा अपने हिस्से की पृथक से मुआवजा मांग की गई है।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार राजस्व अभिलेखों में प्रस्तावित ख.न.271/1 संतोष पिता नकुल के नाम दर्ज है तथा दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी। मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा।

43. जयराम पि0 पूर्णचंद जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवेदक को दिनांक 27.06.2016 को भू अर्जन हेतु नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें ख0न0 278/6 में रकबा 0.202 दर्शाया गया है। अधिग्रहण में प्रभावित रकबा एवं पेडो की संख्या अधिक होना चाहिए अतः पुनः मौका जांच किया जावे। आपत्तिकर्ता जयराम पि0 पूर्णचंद जाति कोलता द्वारा ख नं. 270/1 रकबा 0. 303 हे. के संबंध में आपत्ति की गई है कि मान.उच्च्य न्यायलय में वाद के लंबित रहते मुआवजा भुगतान न किया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रस्तावित ख.नं. 270/6 रकबा 0.182 हे, ख.नं. 276/2 रकबा 0.097 एवं ख.नं.278/6 रकबा 0.020 हे. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित

है। जिसका अभिलेखों में दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी। अधिक रकबा प्रभावित होने पर पूरक प्रस्ताव में लिया जावेगा। उक्त भूमि ख.नं. 270/6 रकबा 0.182, ख.नं. 276/2 रकबा 0.097 हे के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने के कारण न्यायालय के निर्णय अनुसार मुआजवा राशि भुगतान किया जावेगा एवं ह0प0 द्वारा मौका जांच किया गया जिसमें ख0न0 278/6 का रकबा 0.020 पाया गया और उक्त भूमि में जामुन 1, महुआ 14, कठली 1, सरसिंवा 1, रिंया 1 वृक्ष पाया गया।

44. 1. आपत्तिकर्ता शोमनाथ व0 ओसाराम जाति अघरिया का ख0न0 276 पर 40 साल से कब्जा है तथा ख0न0 270 का आवेदक के नाम पर विक्रय पत्र रजिस्टी है जिसके विवाद के निपटारा होते तक ख0न0 276 व ख0न0 270 का मुआवजा रोका जावे।

2. आपत्तिकर्ता सुनउ व0 ननकी राम जाति अघरिया द्वारा आपत्ति की गई है कि उसका ख0न0 276 पर 40 साल से कब्जा है तथा ख0न0 270 का आवेदक के नाम पर विक्रय पत्र रजिस्टी है जिसके विवाद के निपटारा होते तक ख0न0 276 व ख0न0 270 का मुआवजा रोका जावे।

3. आपत्तिकर्ता राजकुमार व0 आशाराम जाति अघरिया द्वारा आपत्ति की गई है कि उसका ख0न0 276 पर 40 साल से कब्जा है तथा ख0न0 270 का आवेदक के नाम पर विक्रय पत्र रजिस्टी है जिसके विवाद के निपटारा होते तक ख0न0 276 व ख0न0 270 का मुआवजा रोका जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार ख.नं. 270 एवं 276 के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने के कारण दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी तथा न्यायालय के निर्णय अनुसार मुआजवा राशि भुगतान किया जावेगा।

45. आपत्तिकर्ता साधुराम पि0 बिरबल द्वारा आपत्ति की गई है कि उसके भूमि ख.नं. 217/4, 219/2 तथा 218/9 रकबा क्रमशः 0.027, 0.008 तथा 0.035 हे. में 1 आम 3 कौहा एवं 1 आम 1 मौहा लगा है जिसके गणना नहीं किया गया है उक्त सारे खसरे नं. की भूमि पर लगे वृक्षो की गणना किया जाकर मुआवजा राशि प्रदान किया जाये।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार मौके पर उक्त खसरा न0217/4, 219/2 तथा 218/9 में पेड़ नहीं पाया गया। ख. नं. 218/9 रेल लाईन में प्रभावित नहीं होन के कारण प्रस्तावित नहीं किया गया है।

46. आवेदक चकबंदी आ. जागे वर सा. कोतरलिया कारीछापर द्वारा निवेदन किया गया है कि ख.नं. 1/4,1/11, 1/24, 1/51, 3/10, 3/20, रकबा 0.985 से कुछ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है इसका मुआवजा मेरे नाम से बनाया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार आपत्तिकर्ता की भूमि रेल कारीडोर में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है।

47. आवेदक सुभाष बेहरा आ. संतोष बेहरा सा कोतरलिया द्वारा निवेदन किया गया है कि ख.नं. 278/1, 453/1, 454/1 क्रमशः रकबा 0.149, 0.040 को रामप्रसाद बेहरा एवं गंगाराम बेहरा से क्रय कर काबिज हु। अतः मेरे नाम से अवार्ड बनाया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित ख.नं. 453/1,454/1 रकबा 0.040 हे. सुभाष, राधिका पिता संतोष के नाम दर्ज है तथा दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी।

48. थेंयोफिल लकड़ा पि0 मार्सेल लकड़ा द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :-

1. यह कि ग्राम कोतरलिया पुसौर जिला रायगढ़ में एनटीपीसी तिलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल निर्माण हेतु भू अर्जन प्रकरण क0 43/अ-82/14-15 में प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 17.12.2013 को प्रकाशित किया गया था, उक्त अधिसूचना में आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि ग्राम कोतरलिया तह0 व जिला रायगढ़ ख0न0 1/1 रकबा.......... उल्लेखित था तथा वर्तमान में समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक .... में भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की गयी है जिसमें मूल ख0न0 1/1 से रकबा .... उल्लेखित है, जो कि विधिक प्रावधानों के विपरित प्रकाशित कराई गयी है।

2. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में सूचना की कंडिका 4 में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकि दुसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है। जो कि संदेहस्पद है एवं महाप्रबंधक एनटीपीसी के पहल पर लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित किया जाना उल्लेखित है जबकि लोक परियोजना के लिए अर्जित भूमि का अंतरण कम्पनी के पक्ष में करने का अधिकारीता नहीं है जो कि कपट की श्रेणी में आता है। चुंकि एनटीपीसी लाभांश प्राप्त करने वाली कम्पनी है जिसके लिए भू अर्जन कि जा रही है ऐसी स्थिति में सार्वजनिक हित हेतु भूमि का अर्जन नहीं किया जा रहा है।

3 भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 28.10.2015 को इस आशय का नोटिफिकेशन किया गया है कि नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है, जिसमें अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य है, किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना के कंडिका 5 में उक्त उपबंधों को छ0ग0 शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र के आधार पर छूट दर्शाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। विदित हो कि नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त कलेक्टर प्रत्येक मामले में उस भूमि के बाबत् ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 के उप धारा 2 के अधीन सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना प्रकाशन के तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्श की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा। ऐसी स्थिति में अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है। उक्त प्रावधान के संदर्भ में छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 14.09.2015 रिट क0 1443/15 अवलोकनीय है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

4 यह कि आपत्तिकर्ता के द्वारा दिनांक 27.11.13 को विकेता सूरज वगै0 पि0 आनंद से प्रतिफल की राशि विधिवत अदा कर एवं छ0ग0 शासन के द्वारा निर्धारित स्टाम शुल्क छ0ग0 शासन को अदा कर ख0न0 1/1 में से 0.41 रकबा 10 डिसमिल कृशि भूमि का विकय पत्र निश्पादन कराया गया है एवं उक्त विकय पत्र के निश्पादन दिनांक से हक व कब्जा आपत्तिकर्ता को प्राप्त हुआ है तथा उक्त विकय पत्र को विकेता अन्य व्यक्ति या संस्थान के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता का हक अंतिम हो जाता है।

5. यह कि विधि की यह सिद्धांत है कि किसी भी खसरे की भूमि को विभिन्न के मध्य संव्यवहार होने के पश्चात उक्त खसरे का बटांकन हो जाता है एवं उक्त खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता (विकेता, दान, वसीयत) को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणों से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप में बिना बंदोबस्त की कार्यवाही किये बिना नहीं आता है। अतएव खसरे का बटांकन के रूप में ही संव्यवहारकर्ता के खाते में होता है किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना में आपत्तिकर्ता के स्वामीत्व हक की भूमि जो कि प्रमाणिकरण के पश्चात खसरा में बटांकन कर खसरे में .... हे0 का ऋण पुस्तिका आपत्तिकर्ता के नाम से तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा विकेता के नाम से मूल स्वरूप में खसरे का उल्लेखित कर प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है जो कि विधि के प्रावधान के विपरित है।

6. यह कि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा 4 में यह उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से इस अध्याय के अधीन कार्यवाही पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिश्ठ भूमि का संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजीत नहीं करेगा। अतएव इससे भी स्पश्ट है कि नवीन भू अर्जन अधिनियम धारा 11 के प्रारंभ अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया संव्यवहार विधि सम्मत है। चूंकि आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विकय पत्र का निश्पादन नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेख में ख0न0 1/1 कुल रकबा 0.332 हे0 भूमि खातेदार सूरज, मुनुदाई वगै0 पिता आनंद के नाम से दर्ज है तथा दर्ज नाम अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

49. प्लासिदिया खलखो पति प्रदीप कुमार द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :–

1. यह कि ग्राम कोतरलिया पुसौर जिला रायगढ़ में एनटीपीसी तिलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल निर्माण हेतू भू अर्जन प्रकरण क0 43/अ–82/14–15 में प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 17.12.2013 को प्रकाशित किया गया था, उक्त अधिसूचना में आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि

ग्राम कोतरलिया तह0 व जिला रायगढ़ ख0न0 1/1 रकबा........... उल्लेखित था तथा वर्तमान में समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक .... में भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की गयी है जिसमें मूल ख0न0 1/1 से रकबा ....उल्लेखित है, जो कि विधिक प्रावधानों के विपरित प्रकाशित कराई गयी है।

2. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में सूचना की कंडिका 4 में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकि दुसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है। जो कि संदेहस्पद है एवं महाप्रबंधक एनटीपीसी के पहल पर लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित किया जाना उल्लेखित है जबकि लोक परियोजना के लिए अर्जित भूमि का अंतरण कम्पनी के पक्ष में करने का अधिकारीता नहीं है जो कि कपट की श्रेणी में आता है। चुंकि एनटीपीसी लाभांश प्राप्त करने वाली कम्पनी है जिसके लिए भू अर्जन कि जा रही है ऐसी स्थिति में सार्वजनिक हित हेतु भूमि का अर्जन नहीं किया जा रहा है।

3 भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 28.10.2015 को इस आशय का नोटिफिकेशन किया गया है कि नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है, जिसमें अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य है, किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना के कंडिका 5 में उक्त उपबंधों को छ0ग0 शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र के आधार पर छूट दर्शाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। विदित हो कि नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त कलेक्टर प्रत्येक मामले में उस भूमि के बाबत् ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 के उप धारा 2 के अधीन सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना प्रकाशन के तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा। ऐसी स्थिति में अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है। उक्त प्रावधान के संदर्भ में छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 14.09.2015 रिट क्0 1443/15 अवलोकनीय है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

4 यह कि आपत्तिकर्ता के द्वारा दिनांक .... को विक्रेता सूरज वगै0 पि0 आनंद से प्रतिफल की राशि विधिवत अदा कर एवं छ0ग0 शासन के द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क छ0ग0 शासन को अदा कर ख0न0 1/1 मे से 0.41 रकबा 10 डिसमिल कृषि भूमि का विक्रय पत्र निश्पादन कराया गया है एवं उक्त विक्रय पत्र के निश्पादन दिनांक से हक व कब्जा आपत्तिकर्ता को प्राप्त हुआ है तथा उक्त विक्रय पत्र को विक्रेता अन्य व्यक्ति या संस्थान के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता का हक अंतिम हो जाता है।

5. यह कि विधि की यह सिद्धांत है कि किसी भी खसरे की भूमि को विभिन्न के मध्य संव्यवहार होने के पश्चात उक्त खसरे का बटांकन हो जाता है एवं उक्त खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता (विक्रेता, दान, वसीयत) को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणों से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप में बिना बंदोबस्त की कार्यवाही किये बिना नहीं आता है। अतएव खसरे का बटांकन के रूप में ही संव्यवहारकर्ता के खाते में होता है किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना में आपत्तिकर्ता के स्वामीत्व हक की भूमि जो कि प्रमाणिकरण के पश्चात खसरा में बटांकन कर खसरे में ....हे0 का ऋण पुस्तिका आपत्तिकर्ता के नाम से तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा विक्रेता के नाम से मूल स्वरूप में खसरे का उल्लेखित कर प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है जो कि विधि के प्रावधान के विपरित है।

6. यह कि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा 4 में यह उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से इस अध्याय के अधीन कार्यवाही पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिश्ठ भूमि का संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजीत नहीं करेगा। अतएव इससे भी स्पश्ट है कि नवीन भू अर्जन अधिनियम धारा 11 के प्रारंभ अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया संव्यवहार विधि सम्मत है। चूंकि आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निश्पादन नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेख में ख0न0 1/1 कुल रकबा 0.332 हे0 भूमि खातेदार सूरज, मुनुदाई वगै0 पिता आनंद के नाम से दर्ज है तथा दर्ज नाम अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

50. अलमा खलखो पति इमिल खलखो द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :–

1. यह कि ग्राम कोतरलिया पुसौर जिला रायगढ़ में एनटीपीसी तिलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल निर्माण हेतू भू अर्जन प्रकरण क0 43/अ–82/14–15 में प्रारंभिक अंधिसूचना दिनांक 17.12.2013 को प्रकाशित किया गया था, उक्त अधिसूचना में आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि ग्राम कोतरलिया तह0 व जिला रायगढ़ ख0न0 1/1 रकबा.......... उल्लेखित था तथा वर्तमान में समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक .... में भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की गयी है जिसमें मूल ख0न0 1/1 से रकबा ....उल्लेखित है, जो कि विधिक प्रावधानों के विपरित प्रकाशित कराई गयी है।

2. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में सूचना की कंडिका 4 में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकि दुसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है। जो कि संदेहस्पद है एवं महाप्रबंधक एनटीपीसी के पहल पर लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित किया जाना उल्लेखित है जबकि लोक परियोजना के लिए अर्जित भूमि का अंतरण कम्पनी के पक्ष में करने का अधिकारीता नहीं है जो कि कपट की श्रेणी में आता है। चुंकि एनटीपीसी लाभांश प्राप्त करने वाली कम्पनी है जिसके लिए भू अर्जन कि जा रही है ऐसी स्थिति में सार्वजनिक हित हेतु भूमि का अर्जन नहीं किया जा रहा है।

3 भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 28.10.2015 को इस आशय का नोटिफिकेशन किया गया है कि नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है, जिसमें अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य है, किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना के कंडिका 5 में उक्त उपबंधों को छ0ग0 शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र के आधार पर छूट दर्शाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। विदित हो कि नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त कलेक्टर प्रत्येक मामले में उस भूमि के बाबत् ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 के उप धारा 2 के अधीन सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना प्रकाशन के तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्श की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा। ऐसी स्थिति में अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है। उक्त प्रावधान के संदर्भ में छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 14.09.2015 रिट क0 1443/15 अवलोकनीय है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

4 यह कि आपत्तिकर्ता के द्वारा दिनांक 27.11.13 को विकेता सूरज वगै0 पि0 आनंद से प्रतिफल की राशि विधिवत अदा कर एवं छ0ग0 शासन के द्वारा निर्धारित स्टाम शुल्क छ0ग0 शासन को अदा कर ख0न0 1/1 में से 0.41 रकबा 10 डिसमिल कृशि भूमि का विकय पत्र निश्पादन कराया गया है एवं उक्त विकय पत्र के निशपादन दिनांक से हक व कब्जा आपत्तिकर्ता को प्राप्त हुआ है तथा उक्त विकय पत्र को विकेता अन्य व्यक्ति या संस्थान के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता का हक अंतिम हो जाता है।

5. यह कि विधि की यह सिद्धांत है कि किसी भी खसरे की भूमि को विभिन्न के मध्य संव्यवहार होने के पश्चात उक्त खसरे का बटांकन हो जाता है एवं उक्त खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता (विकेता, दान, वसीयत) को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणों से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप में बिना बंदोबस्त की कार्यवाही किये बिना नहीं आता है। अतएव खसरे का बटांकन के रूप में ही संव्यवहारकर्ता के खाते में होता है किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना में आपत्तिकर्ता के स्वामीत्व हक की भूमि जो कि प्रमाणिकरण के पश्चात खसरा में बटांकन कर खसरे में .... हे0 का ऋण पुस्तिका आपत्तिकर्ता के नाम से तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा विकेता के नाम से मूल स्वरूप में खसरे का उल्लेखित कर प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है जो कि विधि के प्रावधान के विपरित है।

6. यह कि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा 4 में यह उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से इस अध्याय के अधीन कार्यवाही पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिश्ठ भूमि का संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजीत नहीं करेगा। अंतएव इससे भी स्पश्ट है कि नवीन भू अर्जन अधिनियम धारा 11 के प्रारंभ अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया संव्यवहार विधि सम्मत है। चूंकि आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विकय पत्र का निश्पादन नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेख में ख0न0 1/1 कुल रकबा 0. 332 हे0 भूमि खातेदार सूरज, मुनुदाई वगै0 पिता आनंद के नाम से दर्ज है तथा दर्ज नाम अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

51. सुरेश खलखो पिता जुनस खलखो द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :–

1. यह कि ग्राम कोतरलिया पुसौर जिला रायगढ़ में एनटीपीसी तिलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल निर्माण हेतू भू अर्जन प्रकरण क0 43/अ–82/14–15 में प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 17.12.2013 को प्रकाशित किया गया था, उक्त अधिसूचना में आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि ग्राम कोतरलिया तह0 व जिला रायगढ़ ख0न0 1/1 से रकबा .... उल्लेखित था तथा वर्तमान में समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक में भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की गयी है जिसमें मूल ख0न0 1/1 रकबा ....उल्लेखित है, जो कि विधिक प्रावधानों के विपरित प्रकाशित कराई गयी है।

2. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में सूचना की कंडिका 4 में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकि दुसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है। जो कि संदेहस्पद है एवं महाप्रबंधक एनटीपीसी के पहल पर लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित किया जाना उल्लेखित है जबकि लोक परियोजना के लिए अर्जित भूमि का अंतरण कम्पनी के पक्ष में करने का अधिकारीता नहीं है जो कि कपट की श्रेणी में आता है। चुंकि एनटीपीसी लाभांश प्राप्त करने वाली कम्पनी है जिसके लिए भू अर्जन कि जा रही है ऐसी स्थिति में सार्वजनिक हित में भूमि का अर्जन नहीं किया जा रहा है।

3 भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 28.10.2015 को इस आशय का नोटिफिकेशन किया गया है कि नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है, जिसमें अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य है, किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना के कंडिका 5 में उक्त उपबंधों को छ0ग0 शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र के आधार पर छूट दर्शाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। विदित हो कि नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त कलेक्टर प्रत्येक मामले में उस भूमि के बाबत् ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 के उप धारा 2 के अधीन सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना प्रकाशन के तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्श की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा। ऐसी स्थिति में अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित हैं। उक्त प्रावधान के संदर्भ में छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 14.09.2015 रिट क0 1443/15 अवलोकनीय है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

4 यह कि आपत्तिकर्ता के द्वारा दिनांक 27.11.13 को विक्रेता सूरज वगै0 पिता आनंद से प्रतिफल की राशि विधिवत अदा कर एवं छ0ग0 शासन के द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क छ0ग0 शासन को अदा कर ख0न0 1/1 में से 0.041 रकबा 10 डिसमिल कृषि भूमि का विक्रय पत्र निशपादन कराया गया है एवं उक्त विक्रय पत्र के निशपादन दिनांक से हक व कब्जा आपत्तिकर्ता को प्राप्त हुआ है तथा उक्त विक्रय पत्र को विक्रेता अन्य व्यक्ति या संस्थान के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता का हक अंतिम हो जाता है।

5. यह कि विधि की यह सिद्धांत है कि किसी भी खसरे की भूमि को विभिन्न के मध्य संव्यवहार होने के पश्चात उक्त खसरे का बटांकन हो जाता है एवं उक्त खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता (विक्रेता, दान, वसीयत) को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणों से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप में बिना बंदोबस्त की कार्यवाही किये बिना नहीं आता है। अतएव खसरे का बटांकन के रूप में ही संव्यवहारकर्ता के खाते में होता है किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना में आपत्तिकर्ता के स्वामीत्व हक की भूमि जो कि प्रमाणिकरण के पश्चात खसरा में बटांकन कर खसरे में ....हे0 का ऋण पुस्तिका आपत्तिकर्ता के नाम से तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा विक्रेता के नाम से मूल स्वरूप में खसरे का उल्लेखित कर प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है जो कि विधि के प्रावधान के विपरित है।

6. यह कि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा 4 में यह उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से इस अध्याय के अधीन कार्यवाही पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिश्ठ भूमि का संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजीत नहीं करेगा। अतएव इससे भी स्पश्ट है कि नवीन भू अर्जन अधिनियम धारा 11 के प्रारंभ अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया संव्यवहार विधि सम्मत है। चूंकि आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का

निश्पादन नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेख में ख0न0 1/1 कुल रकबा 0.332 हे0 भूमि खातेदार सूरज, मुनुदाई वगै0 पिता आनंद के नाम से दर्ज है तथा दर्ज नाम अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

52. आपत्तिकर्ता शौकीलाल प्रधान एवं अन्य द्वारा आपत्ति की गई है कि भूमि के ख.नं. 523 कुल रकबा 0.979 हे. में से 0.263 हे., 516/1 कुल रकबा 0.833 में से 0.81, 104 / 1 कुल रकबा 0.158 हे. मे से 0.061, ख.नं0 500 कुल रकबा 0.089 में से 0.020 तथा 501/1 कुल रकबा 0.490 हे. में से 0.222 हे. भूमि भू– अर्जन में प्रभावित हो रहा है। उक्त उल्लेखित भमि के बीच में रेल लाईन लिया जाता है। अन्य बजे रकबा की भूमि में कृशि काज सम्भव नहीं है सम्पूर्ण रकबा की भूमि अधिग्रहित कर उचित मुआवजा दिया जाये। प्रभावित भूमि में जो भी पेड़ प्रभावित हो रहे हैं सभी का आकलन कर भू– अर्जन एवं पेड़ो का मुआवजा दिलाया जाये। ख.नं. 104/1 स्थल पर तालाब है । इसका कुल रकबा 0.158 हे. है। जिसमें से 0.061 हे. भूमि दर्शाया गया है भमि का सही आकलन नही किया गया है। सभी खातेदारों को अलग – अलग बोनस राशि एवं प्रभावित भूमि का एक मुश्त छति पूर्ति राशि दिया जाये।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार मौके पर खसरा 501 में बबुल 2 सागौन 95, कहुआ 5, आम 2, नीम , 1 बांस भीरा 4, डुमर 1, पलास 1 पेड़ पाया गया। ख.नं. 104/1 स्थल पर तालाब नहीं है।

53. आवेदक योगीलाल आ0 डिलेश0र वगै0 द्वारा आपत्ति है कि ख0न0 502 रकबा 0.405 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा रेल लाईन हेतु भूमि को चिन्हांकित किया गया था। दिनांक 31.08.2015 की प्रारंभिक अधिसूचना में उक्त भूमि समाहित नही है। इस संबंध में ह0प0 से वास्तविक स्थिति की जानकारी भूमि का मौका जांच कर पृथक अधिसूचना जारी किया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खसरा नं.502 प्रस्तावित नहीं है। भूमि प्रभावित होने पर पूरक प्रस्ताव में लिया जावेगा।

54. आपत्तिकर्ता योगीलाल आ0 डिलेश्वर जाति कोलता द्वारा आपत्ति है कि ख0न0 502 प्रभावित हो रही है। कि प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है जबकि भूमि पर परियोजना द्वारा काम प्राराम्भ कर दिया गया है। यदि भूमि प्रभावित नहीं है तों काम तत्काल रोका जावे और उचित प्रतिकर प्रदान किया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खसरा नं.502 प्रस्तावित नहीं है। भूमि प्रभावित होने पर पूरक प्रस्ताव में लिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार दावा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रकरण में आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से अवार्ड प्रतिवेदन मय मुआवजा गणना पत्रक प्राप्त किया गया। संयुक्त स्थल जांच में निम्नांकित प्रस्तावित भूमि प्रभावित नहीं होने के कारण आवेदक निकाय द्वारा पत्र दिनांक 26.07.2017 की अधिनियम की धारा 93 के तहत अवार्ड की कार्यवाही से मुक्त किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। :–

क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा
1	558/4 से	0.016	19	3/1 से	0.073	37	82/3 से	0.137
2	44/1 से	0.223	20	1/56	0.202	38	523 से	0.061
3	212/2 से	0.053	21	210/4 से	0.040	39	516/1 से	0.028
4	80/3	0.121	22	72/1	0.016	40	453/1 454/1 से	0.162
5	288 से	0.041	23	207/1	0.032	41	276/1 से	0.040
6	3/14 से	0.137	24	505/1 से	0.292	42	277/2 से	0.648
7	108/11	0.405	25	282/3	0.061	43	413 से	0.028
8	1/31 क	0.131	26	270/3 से	0.060	44	80/2 से	0.175
9	270/6 से	0.142	27	68/1	0.060	45	52 से	0.040
10	278/6 से	0.182	28	96 से	0.041	46	282/2 से	0.048
11	272/9 273/9	0.097	29	272/5 273/5	0.154	47	1/1 से	0.162

	274/9 से			274/5				
12	270/7	0.024	30	272/10 273/10 274/10 से	0.073	48	1/10 से	0.093
13	453/8 454/8 से	0.073	31	567/1	0.081	49	101/1	0.040
14	1/8 से	0.053	32	563/4 से	0.071	50	214	0.065
15	1/18 से	0.133	33	218/9	0.035	51	210/2	0.053
16	3/16 से	0.041	34	3/4 से	0.098	52	1/27 से	0.303
17	1/50	0.206	35	1/57 से	0.029			
18	1/25 से	0.296	36	82/2 से	0.081			
कुल खसरा नं. 52 का रकबा 5.956 हे0								

प्रकरण में अधिग्रहण की जा रही शेष भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा
1	558/4	0.024	47	45/3	0.101	93	83/1ख 83/2ख	0.121
2	226/3	0.405	48	202	0.202	94	523	0.202
3	44/1	0.182	49	95/2	0.04	95	516/1	0.053
4	90/1	0.158	50	85	0.138	96	104/1	0.061
5	91/1	0.032	51	86	0.142	97	500	0.02
6	212/2	0.21	52	87	0.405	98	501/1	0.222
7	288	0.121	53	96	0.04	99	453/1 454/1	0.162
8	287	0.113	54	70/2ख	0.096	100	276/1	0.048
9	1/6	0.113	55	516/2	0.182	101	277/2	0.041
10	3/14	0.061	56	104/3	0.101	102	271/3	0.081
11	1/5क	0.04	57	49	0.004	103	271/2 279/1	0.304
12	3/12ख	0.025	58	528/2	0.032	104	529/1	0.04
13	270/6	0.182	59	528/4	0.049	105	215/1	0.057
14	276/2	0.097	60	79/2	0.065	106	413	0.085
15	278/6	0.02	61	50/2	0.385	107	80/2	0.068
16	272/9 273/9 274/9	0.061	62	272/2 273/2 274/2	0.255	108	562	0.061
17	412/1	0.222	63	272/3 273/3 274/3	0.153	109	52	0.162
18	453/8 454/8	0.024	64	563/2	0.046	110	285/1	0.809
19	81	0.199	65	567/2	0.101	111	289	0.162
20	515	0.089	66	563/4	0.02	112	565	0.323
21	285/2	0.202	67	217/4	0.027	113	566	0.008
22	1/8	0.016	68	219/2	0.008	114	282/2	0.146
23	1/5ख	0.041	69	79/1	0.024	115	527	0.134
24	1/18	0.061	70	50/1	0.263	116	215/3	0.065
25	3/12क	0.024	71	203/1	0.809	117	205	0.397

26	3/16	0.016	72	3/4	0.044	118	206	0.101
27	3/8	0.093	73	1/57	0.072	119	1/1	0.069
28	1/25	0.101	74	526	0.049	120	1/20	0.015
29	1/12	0.008	75	451	0.113	121	1/10	0.012
30	1/35	0.04	76	452/1	0.024	122	1/14	0.069
31	3/1	0.202	77	226/2	0.057	123	277/1	0.081
32	107	0.02	78	210/1	0.073	124	217/5	0.027
33	224	0.122	79	209/3	0.235	125	218/3	0.036
34	455	0.081	80	279/2	0.15	126	218/4	0.035
35	210/4	0.061	81	283	0.081	127	217/6	0.027
36	209/1	0.255	82	408	0.323	128	215/2	0.057
37	505/1	0.194	83	409	0.101	129	514	0.02
38	2	0.146	84	217/3	0.028	130	217/1	0.105
39	3/5	0.077	85	218/1	0.036	131	216/2	0.105
40	88	0.353	86	453/4 454/4	0.024	132	212/1	0.389
41	94/1	0.105	87	282/1	0.405	133	278/2	0.02
42	270/3	0.041	88	82/2	0.237	134	1/27	0.102
43	452/2	0.304	89	82/3	0.065	135	100/2	0.02
44	563/1	0.091	90	83/4	0.081	136	93/3	0.012
45	528/1	0.082	91	83/5	0.032	137	90/2	0.121
46	45/1	0.202	92	104/2	0.263	138	272/10 273/10 274/10	0.016
कुल खसरा नं. 138 का रकबा 16.768 हे.								

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि कुल ख.नं.138 कुल रकबा 16.768 हे. के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.07.2017 एवं पंचनामा दिनांक 5/05/2017 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में भूमि का गाईड लाईन की दर देय मुआवजा अधिक होने के फलस्वरूप गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर के अनुरूप निर्धारण किया गया है। दर का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 15–16 की दर प्रति हे.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति हे.	पुर्नवास नीति की दर प्रति एकड़
असिंचित (खार, टिकरा, बहला)	1914000	1245326	800000/–
असिंचित खार, बहला, टिकरा (सड़क से लगी)	4941000	1245326	800000/–
सिंचित	3717000	1245326	1000000/–
सिंचित दोफसली	4646250	1245326	1000000/–

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का प्रकार	रकबा	गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
1	टसिंचित (खार, टिकरा, बहला)	14.175	60230709	17652496	28021140	60230709
2	टसिंचित खार, बहला, टिकरा(सड़क से लगी)	0.016	175504	19925	31629	175504
3	सिंचित एक फसली	1.266	10446703	2201736	3128286	10446703
4	सिंचित दो फसली	1.311	13522542	1632622	3239481	13522542
	कुलः–	**16.768**	**84375458**	**21506779**	**33146983**	**84375458**

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – रू **1057963 /–**

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – रू. **4715491 /–**

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू. **90148912 /–**

(8) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत अवार्ड आदेश अनुमोदन पश्चात पुनर्वास अवार्ड हेतु प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया जावेगा।

(9) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम कोतरलिया की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं. **138** कुल रकबा **16.768** हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों एवं अन्य परिसम्पत्तियों का कुल मुआवजा राशि रूपये **90148912 / (अक्षंराक नौ करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ बारह रूपये मात्र)** परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–03/सात–1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू–अर्जन /2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/2014/दिनांक 04.12.2014 तथा छ.ग.शासन राजस्व आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास मत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का अधिसूचना क. एफ–7–11/सात–1/पुनर्वास नीति/2013 दिनांक 04.01.2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ०ग०)

पृ. कमांक /भू–अर्जन/2017, रायगढ़ दिनांक 09–08 2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, भू–अर्जन शाखा रायगढ़ को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड मुआवजा राशि रूपये 90148912/–(अक्षंराक नौ करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ बारह रूपये मात्र) आवेदक निकाय द्वारा जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। ताकि तत्संबंधी प्रवृष्टि प्रकरण/पंजी में की जा सके। तथा अनुविभागीय अधिकारी(रा)सह भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ के नाम से बैंक खाते में जमा राशि से अवार्डधारियों को भुगतान की कार्यवाही की जा सके। राशि की आवश्यकता होने पर पृथक से मांग की जावेगी।
3. महाप्रबधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया अवार्ड आदेश की प्रति संबंधित भू–स्वामियों को उपलब्ध करावे। प्रकरण में समय –सीमा के भीतर पुनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुनर्वास प्रतिवेदन मय विहित प्रारूप में गणना पत्रक के साथ तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
4. उप पंजीयक रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।
6. राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
7. प.ह.नं.38 को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषि।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छ.ग.)